

संदर्भ में उल्लिखित आपके पत्र के संबंध में मामले की जाँच की गई यह बताया जाता है कि कार्यालय निम्नलिखित दस्तावेजों के अभाव में प्रतिदाय की पुष्टि करने की स्थिति में नहीं है :

The matter has been examined w.r.t. your letter cited under Ref., it may be stated that, this Officer is not in a position to confirm regarding refund in absence of the following information:

- (i) बैंक एडवाइस न. और दिनांक जिसके द्वारा मागें गए वारंटों का ऋण उठाया गया है /Bank Advice No. and date through which debt was raised for the wanting Warrants :
- (ii) संबंधित रेलवे के एफ ए एवं सी ए ओ के द्वारा विषय सं. एवं तारीख से सहित / Bill No. and date along with lot Nos. issued by the FA&CAO of the concerned Railway forwarding the Warrants.
अतः संबंधित आचलिक रेलवे प्राधिकारी से उपरोक्त जानकारी भेजने का अनुरोध किया जाए ताकि हमारे द्वारा आगे की कार्रवाई की जा सके
It is , therefore , requested to take up the matter with the concerned Zonal Railway authority for furnishing above information for our further action .

A.O.(Fys)

पंजीकृत/ REGISTERED
प्रधान लेखा नियंत्रक (फै.)
PRINCIPAL CONTROLLER OF ACCOUNTS (FYs)
रेल ले.प. अनुभाग, 6, एस्प्लानेड ईस्ट कोलकाता
RLY. AUDIT SECTION, 6, ESPLANADE EAST, KOLKATA-700069.

सं. रेल/लेप/1/628/अन्य/III

No: Rly./Audit/1/628/Obj./III

दिनांक/ Date: 11/09/2012

सेवा में/To

एफ ए एवं सी ए ओ/ The FA & CAO

उत्तर पश्चिम रेलवे/ North Western Railway

अजमेर(राजस्थान)/ Ajmer (Rajasthan)

विषय : रेलवे वारंट पर आपत्ति (आईएफटी-7252 & आईएफटी-1707)

Subject: Objection on Rly. Warrants (IAFT-1752 & IAFT-1707).

संदर्भ/Ref: (I) याले/अज/एम डब्लू बी/ विविध दिनांक 24/8/12

Your Office letter No

(II) इस कार्यालय का दिनांक 2/08/12 का सम संख्या पत्र

This Office letter of even no. dt. 2/08/12

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि प्रश्न में बताए गए रेलवे वारंट (यूएफटी-1752 & आरएफटी 1707) संदर्भ (I) में दर्शाए गए पत्र के एनेक्सर-ए में उल्लिखित व्याख्या के अनुसार समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि अभी भी अतिरिक्त प्रचार है। गणना के विस्तृत व्योरे के साथ विवरण नीचे दिया गया है।

In this connection, it is stated that the Railway Warrants (UAFT-1752 & IAFT-1707) in question have been reviewed in light of your explanation mentioned in Annexure-A attached with the letter cited under Ref. (i) and it is found that there is still excess charges. The details are given below along with details of calculation :-

क्र.सं .SI No.	वारंट सं. एवं तारीख/ Wt. No. & Date	से/From	तक/To	दावा की गई राशि/ Amount Claimed	लेखा परीक्षित राशि/ Audited Amounts	अभ्युक्ति अतिरिक्त प्रकार Remarks (excess Charges)
1.	13AA830626 Date 9/09/11	बंगलोर/Bangalore	जम्मू तवी / Jammu Tawai	7840/-	7828/-	12/-
2.	07A 849589 Date 1/09/11	कन्नूर/Kannur	रिवारी/Riwari	2465/-	2383/-	82/-

3.	07CC 703021 Date 23/09/11	जयपुर/Jaipur	बंगलोर/Bangalore	10640/-	8928/-	712/-
4.	17 AA 808233 Date 8/09/11	जयपुर/Jaipur	सिकन्दराबाद Secunderabad	2275/-	1948/-	327/-
5.	07CC-259132 Date 16/09/11	चंडीगढ़Chandigarh	तिरुअंतपुरम / Thiruvarendapuram	26720/-	20784/-	5936/-

अतिरिक्त राशि को रक्षा मंत्रालय के पक्ष में आपके द्वारा शीघ्र जमा कर दी जाए / The said excess amount may please be credited in favour of Ministry of Defence at an early date at your end.

इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई प्राथनीय है / An early action in this regard is highly solicited.

वरि.ले.प/Sr. Accounts Officer (FYs)